रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 1994/वैशाख 1, 1916
No. 170] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 1994/VAISAKHA 1, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1994

सं. 114/94 – सीमाशुल्क

सा. का. नि. 393(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 29/89–सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में :—

(i) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा ;

(ii) क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और उनसे संबंधित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
"3.	0802.11	सभी माल	55 रुपए प्रति किलोग्राम	50 रु. प्रति किलोग्राम

[फा सं. 348/11/94—टी. आर. यू.]

सुशील सोलंकी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 1994

NO. 114/94-Customs

G.S.R. 393(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 29/89-Customs, dated the 1st March, 1989, namely :—

In the Table annexed to the said notification,—

(i) Sl. No. 2 and the entries relating thereto shall be omitted ;

(ii) For Sl. No. 3 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3.	0802.11	All goods	Rs. 55 per Kg.	Rs. 50 per Kg."

[F. No. 348/11/94-TRU]

SUSHIL SOLANKI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1994